

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
99/12 2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-चुनका में अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जिसमें गैरमजरुआ मालिक खाता सं०-51, प्लॉट सं०- 471 रकबा 1.00 ए० भूमि पर सुरेश भुईयां, पिता स्व० महादेव भुईयां ग्राम-चुनका थाना मनातू का दखल-कब्जा व जोत-कोड़ वर्तमान में है। जांच के दौरान उक्त भूमि पर कब्जाधारी द्वारा प्रस्तुत कागजात में कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज, जिला द्वारा गैरमजरुआ मालिक भूमि का बंदोबस्ती केश सं० 80/2003-04 से बंदोबस्तधारी सुरेश भूईया, पिता स्व० महादेव भुईया को मौजा-चुनका, खाता सं०-51, खेसरा सं०- 479, रकबा 1.00 ए० भूमि का बंदोबस्ती पर्चा प्राप्त है एवं उक्त भूमि का ऑफनलाईन लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक वसूल है। इसके साथ ऑनलाईन मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 07, वाफ्ल्युम सं०-09 पर सुरेश भुईयां, पिता महोदव भुईयां के नाम पर खाता-51, प्लॉट सं०- 471, रकबा-1.00 एकड़ भूमि दर्ज है। उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इस जमाबंदी को अवैध से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अंचल अधिकारी जहोदपुर,

मनासू

विषय : संवैध/संदेहास्पद जमावंदी केस नं०-167/2016-17 का जॉच
प्रतिवेदन

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-पुनो
में अंचल अमीन के साथ रखी जॉच बिना जिसमें गैरजस्का
मासिक खाता-51, खाता सं.-471, रकबा-1.00 एड्ड भूमि पर
सुरेश भुइयों, पिता- एच. महादेव भुइयों जात्र-पुनो, थाना-मनासू
का दरबाल-कच्चा व जमीन-भंड-वर्तमान में है। जॉच के दौरान
उक्त भूमि पर कच्चाधारी द्वारा प्रस्तुत कागजात में कार्यालय
अनुमंडल पदाधिकारी, डायरेक्ट, जिला-पलाश दाय गौमजहवा नामिक
भूमि का वंदोबस्ती केस सं.-80/2003-04 से वंदोबस्तीधारी
सुरेश भुइयों, पिता- एच. महादेव भुइयों को मौजा-पुनो, थाना-
51, खाता सं.-471 रकबा-1.00 एड्ड भूमि का वंदोबस्तीपर्चा
प्राप्त है एवं उक्त भूमि का ऑकलाइन लगान रसीद वर्ष 2014-15
तक वसूल है। इसके साथ ऑनलाइन मोग पंजी 11 के वृत्त सं.-
07, वॉल्यूम सं.-09 पर सुरेश भुइयों, पिता-महादेव भुइयों के
नाम पर खाता-51, खाता सं.-471, रकबा-1.00 एड्ड भूमि
दर्ज है।

अतः उक्त जमावंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।
इसलिए इस जमावंदी को अवैध से मुक्त बिना जा सकता है।

अंचल अमीन

वा. उ. गौमजहवा
हस्ता-11

विभागाध्यक्ष
प्रेमचंद कुमार
वा. उ. गौमजहवा,
हस्ता-11

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

166/16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- ~~खुर्द~~ धाना- ~~117/12~~ खाता संख्या- ~~51~~ प्लॉट संख्या- ~~471~~
रकबा- ~~1.10~~ एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- ~~712~~ के पृष्ठ संख्या- ~~.....~~ पर जमाबंदी रैयत ~~सुरेश कुमार~~ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि, क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- ~~16/11/17~~ को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मना

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- सुदेव प्रसाद, S/O भाई प्रसाद
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>बनस</u>	<u>367</u>	<u>51</u>	<u>471</u>	<u>10000</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-712 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 02203
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- SDO
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध मूबंदोबस्ती - जाह देवना 20/200304)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

लगान रसीद संख्या

रसीद निर्गत तिथि

<u>5074354</u>	<u>2903204</u>	<u>26/03</u>
<u>3941328</u>	<u>2904205</u>	<u>6/107</u>
<u>112729</u>	<u>2905206</u>	<u>3/508</u>
<u>110815</u>	<u>2909=70</u>	<u>3/109</u>
<u>4939298</u>	<u>2011212</u>	<u>8/9/11</u>
<u>114344</u>	<u>2014=15</u>	<u>1/1/11</u>

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या ...166.../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम सुरेश भुईया 510 माधदेव भुईया
काठ - 5797

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा 5797, थाना नं० 367
खाता नं० 51, खेसरा नं० 421, रकबा 10.012 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपसन्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातू, पलाय

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला

गैर सज्जदा आस/नालिक भूमि की वन्दोवस्ती कृषि/आवास के लिए

वन्दोवस्ती केस संख्या- 80/2003-2004

परवाना संख्या-

वन्दोवस्तुधारी का नाम

सुरेज ठडगे

पिता का नाम

रमेश ठडगे

ग्राम

पाना

वन्दोवस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम

खाना नं०

गोबरानं०

रकबा

चौदरो

सुनवा

51

471

2.50

30 आठर पंड

367

(एक एक)

50 काट्टर पंड

पूरा गांव 33-0

57 आठर पंड



वन्दोवस्ती की शर्तें

- वन्दोवस्तु धर्मांतरित भूमि के साथ वन्दोवस्तु की जाएगी।
- वन्दोवस्तु धर्मांतरित भूमि का दस्तावेज नती गीतकार अथवा अधिकारी से प्राप्त कर लेना।
- वन्दोवस्तुधारी लगान एवं सेवा मोरत नियमित रूप में प्रतिकर देना करके/लगान वन्दोवस्तु के बर्ष से देय होगा।
- वन्दोवस्तु की गई जमीन विरासत के योग्य होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका दस्तानाम्तरण बंध नहीं होगा।

वन्दोवस्तु भूमि की सांख्यिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास वेबक बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी

11/2/03

मशहर नाम चुमका

पाना (समाप्त) पाटन नावर :- ३६७

जिला पचाम

४/२००३-०४
कुलासुद्ध



कुलासुद्ध
४/२००३-०४

संख्या 20/2003
 20/2003
 20/2003

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
 भूमि सुधार

JH A 114344

रसीद अर्मांक 36
 रयत का नाम 20/2003
 मिता का नाम 20/2003
 जमाना की नुमा 20/2003

जिला का नाम 100/2003
 अनुमण्डल का नाम 20/2003
 अंचल का नाम 20/2003
 थाना 20/2003

खता संख्या	वेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
20/2003	20/2003	20/2003

जोत की सालाना या 3 वर्ष या 30 वर्ष का विक्रय (बकाया एवं बकाया का)

साल	वार्षिक	3 वर्ष का विक्रय	रा. वर्ष	विक्रय वर्ष	अर्मांक
हल					20/2003
समान					20/2003
सेस					20/2003
* व्याज					20/2003
विविध					20/2003
योग					20/2003

भुगतान का विवरण

अदायगी	3 वर्ष से ज्यादा	वार्षिक	वार्षिक	अर्मांक
हल				20/2003
समान				20/2003
सेस				20/2003
* व्याज				20/2003
विविध				20/2003
योग				20/2003

- कुल योग शब्दों में 20/2003
- नाम अदाकर्ता 20/2003
- कुल बकाया 20/2003

कर्मचारी
 हस्ताक्षर एवं दिनांक

* यदि जमाना का बकाया भुगतान नहीं हो (विवरण एवं बकाया दिनांक कि संशोधन के जारी हो) यदि नहीं लिखा जाता है।



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

July 20, 2018

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	9	पृष्ठ संख्या	7										
जिला का नाम	पलामू	अनुमंडल नाम	सदर मेदनीनगर	अचल का नाम	मनातु	हलका का नाम	हल्का-2	इस्टेट का नाम	झारखण्ड				
मौजा का नाम	चुनका	होलिडिंग संख्या	51	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	0367	खाता का प्रकार	—				
सुरेश भुईया, पिता-महादेव भुईया, जाति-													
खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार						लगान	सेस			
51	471	1 ऐ 0 डि 0 हे	वन्दोवस्ती सं०80/03-04 अनुमंडल पदाधिकारी डाल्टनगंज के आदेशानुसार मांग पंजी2 खोला गया						4	5.8			
	कुल परिमाण	1 ऐ 0 डि 0 हे											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

Court Name	Case Nature	Case No	Petitioner	Respondent	Status
CO MANATU	Jamabandi	166/2016-17	SURESH BHUIYAN S/O MAHADEV BHUIYAN	NON	Admission

नपशा देखें



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है